पंचायत निगरानी संख्या : 477/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सुरेन्द्र सिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 477/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/617

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली	बनाम	1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह निवासी दूदनी तह.बाली जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 188/2017–18 में जरिये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 13.09.2019 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णयः–

दिनांकः 20.08.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 188/2017–18 में जरिये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 13.09.2019 को निरस्त** करवाने बाबत् पेश की गई।

प्रार्थी की ओर से पंचायत निगरानी विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्नांकित अनियमितताओं के कारण प्रस्तुत की गईः–

- अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक को सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत **पट्टा संख्या 10 दिनांक 13.09.2019** को जारी किया गया है। जिसमें निम्न प्रकार की अनियमितता बरती गईः–

1. ग्राम पंचायत से उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार सुरेन्द्रसिंह/मोहनसिंह पट्टे हेतु आवेदनशुल्क 120.00 रुपये की रसीद संख्या 10 दिनांक 13.07.2017 मोहनसिंह पुत्र जोरसिंह के नाम से कटी हुई है जबकि पट्टा शुल्क 200.00/– रुपये की रसीद संख्या 71 दिनांक 12.09.2019 सुरेन्द्रसिंह/मोहनसिंह निवासी दूदनी के नाम से काटकर जमा किया गया है। सुरेन्द्रसिंह के नाम से पट्टा क्रमांक 10 जरिये मिसल संख्या 188/2017–18 द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019

अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

में जारी करने के निर्णय अन्तर्गत पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) (ख) के तहत पट्टा शूल्क 200/– रुपये लेकर पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया गया है। पत्रावली में आवेदक का पट्टा बनाने का आवेदन पत्र सलंन नही है। पत्रावली में मोहनसिंह पुत्र जोरसिंह के नाम से कांट–छांट करके सुरेन्द्रसिंह/मोहनसिंह राजपुत किया हुआ है, जिसका पत्रावली मे कोई कारण लिखा हुआ नहीं है। भूमि किस्म का प्रमाण प्राप्त करने का पत्रावली में दिनांक 05.07.2019 की आज्ञा में लिखा हुआ है लेकिन पत्रावली के साथ लगा हुआ नहीं है। वार्ड पंचो की मौका निरीक्षण कमेटी रिपोर्ट में मौके की स्थिति का उल्लेख किया हुआ नहीं है। नियम 148 में मौका दिनांक 05.07.2019 आपत्ति मांगने के सूचना पत्र प्रारुप–22 में जारी किया गया है लेकिन सहज दृश्य स्थल पर चस्पा कर दो मौजुद व्यक्तियों के हस्ताक्षर किये हुए नहीं है। मौके पर मकान 50 वर्षो के दौरान होने सम्बन्धित साक्ष्य बाबत सरपंच के निर्णय पत्र के अतिरिक्त किसी भी गवाह के बयान लगे हुए नहीं है। जांच कमेटी द्वारा मौका स्थिति देखने पर मकान निर्मित है तथा शेष भाग में सीमेंट ईटों से एक कमरा एवं खाली जमीन है। भूमि किस्म की राजस्व विभाग से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार पट्टे की भूमि गैर मुमकीन आबादी भूमि है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 13.09.2019 की वैद्धता, शुद्धता एवं मौलिकता के सम्बन्ध मे आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से काबिल अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

वक्त बहस प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि आलोच्य पट्टा संख्या 10 के सम्बन्ध में मिसल संख्या 188/2017–18 में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पूर्णतः पालना नहीं की गई है। आवेदन पत्र प्राप्त किये बिना ही मिसल कायम की गई तथा मिसल में नाम सम्बन्धि कॉट–छाँट भी है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति इश्तिहार, स्थल निरीक्षण इत्यादि के सम्बन्ध में विधिवत प्रक्रिया की पालना किए बिना तथा कब्जे में प्रमाण के रुप में कोई साक्ष्य इत्यादि के अभाव में नियम 157 के अन्तर्गत आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित किया गया, जो अपास्त किये जाने योग्य होने से खारिज फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए वक्त बहस किया गया कि आलोच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत के क्षेत्राधीन गैर मुमकीन आबादी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

भूमि में स्थित होना तथा अप्रार्थी का आलोच्य भूमि पर मकान निर्मित होना स्वयं याची ने स्वीकार किया है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए तथा सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा आधारहीन निगरानी पेश कर इसे चुनौति दी गई है, जिसे खारिज किया जाए।

उभयपक्षकारों की बहस सुनी गई तथा तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

याची द्वारा जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख को मुख्यतः प्रक्रियात्मक आधारों पर चुनौति दी गई है। प्रार्थी द्वारा चूंकि याचिका में उल्लेखित जाँच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रस्तुत नहीं की है, अतः इस सम्बन्ध में मिसल संख्या 188/2017–18 का गहन अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आते हैः–

1. सम्पूर्ण मिसल में अप्रार्थी श्री सुरेन्द्रसिंह की ओर से पट्टा बनाने हेतु कोई आवेदन सलंग्न नही है; सुनवाई के दौरान अप्रार्थीपक्ष द्वारा भी ऐसा आवेदन प्रस्तुत होने सम्बन्धि कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाया है। अतः प्रार्थीपक्ष का यह तर्क प्रमाणित पाया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 की पालना किए बिना ही ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 188/2017–18 कायम की जाकर कार्यवाही निष्पादित की गई है। मिसल में नाम सम्बन्धि कॉट–छॉट भी पाया जाना सिद्ध है।
2. सम्पूर्ण मिसल में पूर्वोक्त नियम, 1996 के नियम 146 की पूर्वापेक्षा में स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचों के मनोननयन का कोई आदेश सलंग्न नहीं है, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर भी सरपंच के अतिरिक्त किन्हीं दो व्यक्तियों के ही हस्ताक्षर है।
3. राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 में यह आज्ञापक रुप से उपबन्धित है कि आपतियां आमंत्रित करने के नोटीस पर चस्पानगी की तस्दीक के रुप में दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। हस्तगत मिसल में सलंग्न आपत्ति इश्तिहार प्रारुप–22 नियम 148 की चस्पानगी की तस्दीक दो व्यक्तियों द्वारा किए जाने के प्रमाणस्वरुप नाम, हस्ताक्षर इत्यादि उपलब्ध नही है। अतः यह सिद्ध पाया जाता है कि आलोच्य मिसल में नियम 148 की पालना नही की गई है।
4. आलोच्य पट्टा नियम 157 में जारी किया जाना निर्विवाद है; राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में नियमों के प्रारम्भ से पचास वर्ष तथा 31.12.2016 से सत्तर वर्ष पूर्व की अवधि के निर्मित गृह/मकान के विनियमितिकरण का प्रावधान है, किन्तु हस्तगत मिसल संख्या 138 में प्रत्यर्थी के हक में पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व उक्त अवधि के कब्जे बाबत् कोई साक्ष्य, यथा गवाहों/पडौसियों के बयान आदि नहीं लिये गए एवं सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा बिना किसी वैध आधार के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 477 / 2024
वान : विकास अधिकारी बाली बनाम सुरेन्द्र सिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

60 वर्ष पूर्व का कब्जा होना अंकित करते हुए नियम 157 में पट्टा विलेख निष्पादित करने का निर्णय लिया गया, जो कि अवैधानिक तथा शून्यकरणीय है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के अनुसार प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाते है कि मिसल संख्या 188 / 2017–18 में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों की अवहेलना में कार्यवाही सम्पादित की गई है।

अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 188 / 2017–18 में पारित संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 तथा इसके अनुसरण में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 10 दिनांक 13.09.2019 बज़तरफ श्री सुरेन्द्रसिंह अपास्त किये जाते है। साथ ही प्रकरण ग्राम पंचायत दूदनी को पुनप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में कब्जा इत्यादि के सम्बन्ध में साक्ष्य लेकर तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में विहित प्रक्रिया की पूर्णतः पालना करते हुए दो माह के भीतर नए सर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दूदनी को यह भी निर्देश दिए जाते है कि अपास्त किए गए पट्टा विलेख संख्या 10 (पट्टा बुक संख्या 27) की मूल प्रति पर लाल स्याही से बड़े–बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **20.08.2025** को सरे इज़लास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड अन्य किसी प्रकरण में आवश्यक नहीं होने पर पुनः लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली